

प्रेस नोट

थाना बबीना

दिनांक 19.03.24

1.300 ग्राम अवैध गाँजा सहित अभियुक्त को थाना बबीना पुलिस द्वारा गिरफ्तार

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन -2024 को शांति पूर्वक सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद में मादक पदार्थों के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को थाना बबीना पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुरली माता मन्दिर हाईवे के पास बहदग्राम रसोई समय करीब 12.55 बजे अभियुक्त HS 129 A सूरज उर्फ सूरी पुत्र मातादीन निवासी ग्राम रसोई थाना बबीना जिला झाँसी उम्र करीब 43 वर्ष के कब्जे से **1.300 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद किया गया।**

गिरफ्तारी तथा बरामदगी के सम्बंध में थाना बबीना पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया। अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सूरज उर्फ सूरी –

1. मु0अ0सं0 841/04 धारा 60 आब.अधि. थाना बबीना झाँसी
2. मु0अ0सं0 155/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बबीना
3. मु0अ0सं0 149/13 धारा 147/148/323 भादवि थाना बबीना झाँसी
4. मु0अ0सं0 24/19 धारा 60 आब.अधि. थाना बबीना
5. मु0अ0सं0 46/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बबीना
6. मु0अ0सं0 320/23 धारा 147/149/308/323/325/336/504/506 भादवि थाना बबीना
7. मु0अ0सं0 97/24 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बबीना

पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री अरुण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष थाना बबीना जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री कुलदीप पवार थाना बबीना
3. का0 1152 शैलेश शुक्ला थाना बबीना
4. का0 230 धर्मेन्द्र कुमार थाना बबीना